नैनीताल में उत्तरखंड के उच्च न्यायालय में

आपराधिक विविध।

आवेदन संख्या 726/2005

घनश्याम सिंह राजपुर।

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तरांचल राज्य और अन्य .....उत्तरदाता

15 जुलाई, 2010

माननीय धरम वीर, जे.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री बी. एस. अधिकारी और श्री. अमित भट्ट, राज्य के लिए जी. ए.।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, सी. आर. पी. सी.) की खंड 482 के तहत दायर इस याचिका के माध्यम से, याचीगण ने भा.दं.सं. सी. की खंड 406 अन्य विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश द्वारा पारित दहेज निषेध अधिनियम की खंड 6 के तहत आपराधिक वाद सं. 1204/2004 श्रीमती सालिनी बनाम दयाशंकर व अन्य में उक्त मामले की पूरी कार्यवाही को रद्द करने के लिए याचना की है।

तथ्य, संक्षेप में, यह है कि 5.7.2004 पर, प्रतिवादी संख्या 3 श्रीमती. सलिनी राजपुर ने इस दावे के साथ एक प्राथमिकी दर्ज की, कि उनकी शादी हिंदू संस्कारों के अनुसार 10.6.2000 पर दया शंकर से हुई थी। याचिकाकर्ता घनश्याम सिंह उसके ससुर हैं। उक्त विवाह से पैदा हुई एक लड़की, उसकी शादी के छह महीने बाद, उसके ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया और 2.7.2004 को उसे उसके पति द्वारा बुरी तरह से पीटा गया और उसे तलाक लेने की धमकी दी जा रही है और अंततः प्रतिवादी संख्या 3 को अपनी बेटी के साथ उसके ससुराल से जाना पड़ा और उसके बाद वह अपने मायके में रह रही है। इसके बाद उन्होंने मजिस्ट्रेट के समक्ष इन कथनों के साथ एक शिकायत भी दर्ज कराई। विद्वान निचली निचली अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 200 के तहत शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने और दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 202 के तहत गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची कि याचिकाकर्ता/अभियुक्त के खिलाफ प्रथमदृष्टया मामला बनता है, और तदनुसार उन्हें दिनांक 02.02.2005 के आदेश के माध्यम से तलब किया गया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। मुझे याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्को में कोई बल नहीं दिखता। क्योंकि निचली अदालत ने पाया है कि शिकायत में किए गए दावे शिकायतकर्ता के बयान के तहत खंड 200 सीआरपीसी और खंड 202 सीआरपीसी के तहत गवाहों के बयानों से पुष्टि करते हैं।

याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई बहस पर विचार करने के बाद तथा प्राथमिकी की सामग्री, शिकायत और दिनांक 02.02.2005 के आक्षेपित आदेश और रिकॉर्ड पर उपलब्ध अन्य कागजातों पर विचार करने के बाद, मेरा विचार है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ उपरोक्त खंड के तहत एक प्रथमदृष्टया मामला बनता है। विवाद में तथ्यात्मक प्रश्न शामिल है जिसका निर्णय इस न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है। निचली अदालत के समक्ष पक्षों द्वारा मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद ही विवाद का फैसला किया जा सकता है। यह न्यायालय केवल अभिलेख पर दाखिल दस्तावेजों के आधार पर निर्णय नहीं ले सकता है।

अन्यथा भी, निचली अदालत शिकायतकर्ता के साथ–साथ अभियुक्त के साक्ष्य को दर्ज करने के बाद और कानून के अनुसार साक्ष्य के सराहना के आधार पर भी मामले का फैसला करेगी। यदि लगाए गए आरोप और अभियुक्त के खिलाफ पेश किए गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य और गवाहों के बयानों को उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता को स्वीकार किया जाए, तो मेरा विचार है कि याचिकाकर्ताओं को निचली अदालत द्वारा सही तरीके से तलब किया गया है। निचली अदालत अपने सामने प्रस्तुत किया गए साक्ष्य को दर्ज करने के बाद मामले का फैसला करेगी। मेरा विचार है कि मौजूदा मामले में न तो न्यायाधीश की विफलता है और न ही न्यायिक आदेशिका का कोई दुरुपयोग है।

याचिका में योग्यता का अभाव है और इसे खारिज किया जा सकता है। तदनुसार, याचिका खारिज कर दी जाती है।

अंतरिम आदेश दिनांकित 20.10.2005 को अपास्त किया जाता है।

(धरम वीर, जे.) 15.7.2010

प्रबोध